राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

श्री प्रद्युम्न सिंह

वित्त मंत्री, राजस्थान

का

भाषण

जो उन्होंने

राजस्थान विधान सभा में वर्ष 2000-2001 के बजट अनुमान

प्रस्तुत करते समय दिया

जयपुर, 30 मार्च, 2000

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1999–2000 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2000–2001 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. आज राजस्थान की स्थापना का गौरवशाली दिन – 30 मार्च है। मैं इस अवसर पर माननीय सदस्यों को व राज्य की जनता को बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। गत वर्ष को राज्य भर में राजस्थान की स्थापना के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के रूप में मनाया गया। इसके दौरान राज्य के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को दर्शाते हुए कई कार्यक्रम हाथ में लिए गये। इनकी सफलता से प्रेरित होकर समाज के कई वर्गों ने यह सुझाव दिया है कि इस समारोह की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाये। शासन इसको सहर्ष स्वीकार करता है। अगले वर्ष के दौरान इन समारोहों के क्रम में एक अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन करने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत राजस्थान की उन सभी प्रतिभाओं को, जिन्होंने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है,

सम्मानित किया जायेगा तथा उनके साथ विमर्श कर राजस्थान के भविष्य में विकास की अवधारणाओं को स्पष्ट कर मूर्तरूप देने हेतु कार्यकारी योजनायें बनाई जायेंगी। अगले वर्ष में इन स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मैं दो करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान करना प्रस्तावित करता हूँ।

3. राज्य की अब तक की विकास यात्रा ने अनेक नए आयाम प्राप्त किये हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम पिछले एक वर्ष पर दृष्टिपात करें तो प्रकट होगा कि कठिनाइयों के बावजूद राज्य ने अपने निवासियों के लिये अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जिससे जन साधारण, विशेषतः निर्धनों व वंचित वर्गों, को लाभ मिला है।

4. इस वर्ष में शासन के अनेक विषयों को सीधा पंचायतों के अधिकार में देकर सत्ता का अधिकतम विकेन्द्रीकरण किया गया है। अब गाँव, खण्ड व जिला स्तर पर वहीं के लोग अपनी विकास की आवश्यकताएं पहचान कर उनकी प्राथमिकता स्वयं तय करेंगे और

अपने विद्यमान संसाधनों में स्थानीय जन–सहयोग से योजनाओं की बेहतर क्रियान्विति कर सकेंगे। स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता को बढ़ावा देने के ये प्रयास अनुपम हैं। इन सबसे निर्धनों, वंचितों व महिलाओं के सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और लोग अपने विकास के क्रम को खुद आगे बढ़ाएंगे।

5. यह वर्ष वित्तीय दृष्टि से कठिनाइयों भरा रहा, फिर भी लोक कल्याण के लिए प्रशासन ने अनेक महत्वपूर्ण संकल्पों को पूरा करने के लिये वैधानिक एवं प्रशासनिक उपाय किये। इस दृष्टि से प्रशासनिक सुधार आयोग, राज्य महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्प संख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग एवं राज्य वित्त आयोग का गठन महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष हमने राज्य के संतुलित एवं सर्वांगीण विकास को दिशा देने हेतु राज्य आयोजना बोर्ड का पुनर्गठन किया है। विकास की दिशा निर्धारित करने हेतु शासन ने विभिन्न सामाजिक व अन्य क्षेत्रों से संबन्धित नीतिगत निर्णय लिये हैं और जनसंख्या नीति, महिला नीति व सूचना प्रौद्योगिकी नीति आदि नीतियां प्रदेश के जनहित में जारी की हैं।

6. लोगों को राहत पहुँचाने और लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए राज्य ने कृषि भूमि के अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग की प्रक्रिया को सरल किया है तथा राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है।

7. माननीय सदस्यों को यह विदित है कि शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव निर्धारित समय सीमा में कराने के पश्चात् राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद भी सरकार ने गत दिनों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करा कर अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी पूरी की है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से पहले सारे देश की निगाहें राजस्थान पर टिकीं थीं व बहुत से लोगों को संदेह था कि ये चुनाव निर्विघ्न हो पायेंगे या नहीं। किन्तु सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति व संकल्प के कारण चुनाव समय पर कराये जा सके। मैं इस अवसर पर उन जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इन चुनावों को कराने में अपने दायित्व को अच्छी तरह निभाया।

8. श्रीमन् ! देश के अधिकांश राज्य वित्तीय कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं व राजस्थान भी इसका अपवाद नहीं है। हमारे राज्य की वित्तीय कठिनाइयों के कारणों का विश्लेषण किया जाये तो स्पष्ट होगा कि पूर्व सरकार द्वारा राजस्व आय के स्रोतों में समुचित वृद्धि किये बिना राजस्व व्यय में लगातार वृद्धि करने से यह समस्या जटिल हो गई है।

9. पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से वेतन, भत्तों व पेंशन में बढ़ोतरी, राज्य कर्मचारियों को सन् 1992 से 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पर समयबद्ध पदोन्नतियों का लाभ देने से संस्थापन व्यय में वृद्धि व आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ऋण भार में भारी वृद्धि के कारण ब्याज के दायित्व में लगातार बढ़ोतरी, गत वर्षों में राजस्व व्यय में वृद्धि के मुख्य कारण रहे हैं। इसके अतिरिक्त चुंगी समाप्त करने के कारण राज्य सरकार पर नगर पालिकाओं को अतिरिक्त अनुदान राशि देने का भार पड़ा है जिसकी भरपाई बिक्री कर पर सरचार्ज लगाने से नहीं हो पाई है। वर्तमान सरकार ने जब शासन की बागडोर सम्भाली उस समय भीषण अकाल की स्थिति थी जिससे निबटने के लिये

वर्ष 1999 में लगभग 500 करोड़ रूपये व्यय करने पड़े। इन कारणों से राजस्व व्यय में और वृद्धि हुई।

10. दसवें वित्त आयोग ने राज्यों को राजस्व के अन्तरण की वैकल्पिक योजना (Alternative Scheme of Tax Devolution) की सिफारिश की थी जिसके अनुसार संघीय सकल कर राजस्व (Gross Tax Revenue) का 29 प्रतिशत भाग राज्यों को मिलना था। दसवें वित्त आयोग के अवार्ड की अवधि समाप्त होने जा रही है फिर भी अभी तक केन्द्र सरकार ने संविधान में आवश्यक संशोधन नहीं करवाया है जिसके कारण राज्यों को सुझाव के अनुरूप अन्तरण नहीं मिल पाया है।

11. उपरोक्त कठिनाइयों के परिणामस्वरूप हमें चालू वित्तीय वर्ष के योजना आकार में लगभग 1200 करोड़ रूपये की कटौती करने का निर्णय लेना पड़ा। वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिये हमने कई प्रशासनिक व नीतिगत कारगर कदम उठाये हैं। अनेक प्रशासनिक मदों जैसे, हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, स्टॉफ कार, फोन, खर्चीले समारोह व अन्य

अनुत्पादक खर्चों (Unproductive expenditure) में कटौती की गई है। यहाँ तक कि मंत्रियों को भी दो कारों की सुविधा के स्थान पर मात्र एक कार ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। अनेक अधिशेष (Surplus) कर्मचारियों को चिन्हित करके उन्हें रिक्त पदों पर समायोजित करने की कार्रवाई की जा रही है।

12. राज्य में संस्थापन व्यय में, विशेष रूप से वेतनमानों में संशोधन के पश्चात्, बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इस बढ़ते हुये व्यय को नियंत्रित करना आवश्यक हो गया है। यह कार्य अल्पावधि में सम्भव नहीं है। कर्मचारियों की संख्या को शनैःशनैः सीमित करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। बहुधा यह पाया गया है कि विभागीय योजनाओं की उपादेयता समाप्त हो जाने पर भी ऐसी योजनाएं बन्द नहीं हो पाती हैं तथा नई योजनाओं के लिये नई भर्तियां कर ली जाती हैं। अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विभिन्न विभागीय योजनाओं का पुनरीक्षण (Review) किया जायेगा तथा जिन योजनाओं की उपादेयता नहीं हैं उन्हें बन्द किया जायेगा। सूचना–प्रौद्योगिकी (Information Technology) तथा

अन्य तकनीकी उपकरणों के उपयोग में वृद्धि के परिणामस्वरूप उपलब्ध कर्मचारियों की सेवाओं का कुशलतम उपयोग हो सकेगा तथा संस्थापन व्यय को कम किया जाना सम्भव होगा।

13. राज्य के दीर्घकालीन विकास के लिये आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किया जाना आवश्यक है। इन सुधारों से शुरू में तो कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किन्तु कुछ समय पश्चात् आर्थिक व वित्तीय दृष्टि से राज्य को इन सुधारों का लाभ मिलने लगेगा। जन कल्याण शासन का प्रमुख उत्तरदायित्व है, वहीं हर बात के लिये राज्य पर निर्भरता उचित नहीं है। बढ़ती हुई जन आकांक्षाओं की पूर्ति निजी निवेशन, सेवाओं को शनैःशनैः स्ववित्तपोषी (Self Financing) बनाने, सेवा शुल्क में वृद्धि करने से ही सम्भव हो सकेगी।

14. जहां तक निजी निवेश का प्रश्न है सामाजिक क्षेत्र में निजी निवेश की सम्भावना कम रहती है। अतः समाज के कमजोर वर्गों के हितार्थ विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं को

सरकार बढ़ावा देगी। उद्योग एवं आर्थिक सेवाओं के आधारभूत ढांचे (Infrastructure) के विकास हेतु यथासम्भव निजी निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा। सड़कों, बाई–पास व पुलों के निर्माण हेतु BOT (Build, Operate and Transfer), BOOT (Build, Operate, Own and Transfer) व BOOM (Build, Operate, Own and Maintain) पद्धतियां अपनाई जाकर निजी निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा। चिकित्सा तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुछ सुविधायें देने के प्रस्तावों का मैं आगे उल्लेख करूंगा।

15. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं राज्य के राजस्व के साधन सीमित हैं। कर राजस्व को देखें तो उसमें बढ़ोतरी की एक सीमा है। कर राजस्व की दर में एक सीमा से अधिक वृद्धि का राजस्व वृद्धि से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। अतः हमें गैर कर राजस्व में धीरे–धीरे बढ़ोतरी करनी होगी। सेवाओं के स्तर में सुधार तब ही सम्भव होगा जब समर्थ लोगों से हम उचित शुल्क की वसूली कर सकेंगे।

16. आगामी वर्ष में हमारा पूरा जोर राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) व वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) पर रहेगा। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि राजस्व घाटा (Revenue Deficit) होना उचित नहीं है। अतः हम एक प्रभावी कार्ययोजना बनाकर राजस्व घाटे को अगले 3 वर्षों में समाप्त करना चाहते हैं। जहां तक राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) का प्रश्न है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के अनुपात में इसका एक सीमा से अधिक होना चिन्ता का विषय है। इस वर्ष बजट अनुमानों के अनुसार हमारा राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 8.84 प्रतिशत अनुमानित था। संशोधित अनुमानों के आधार पर यह प्रतिशत 8.51 रहना सम्भावित है। आगामी वर्ष में राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 7.46 प्रतिशत रहना सम्भावित है। अतः आगामी कुछ वर्षों में हमारा राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत तक सीमित हो जाये इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे।

17. आगामी वर्ष में हम विस्तार (Expansion) के स्थान पर समेकन (Consolidation) को प्राथमिकता देना चाहते हैं। नयी योजनाएं शुरू करने के बजाए गत वर्ष के अधूरे कार्यों व पूर्व में आंशिक निर्मित परिसम्पत्तियों को पूरा करना तथा परिसम्पत्तियों का प्रभावी रख–रखाव हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी।

18. श्रीमन् ! ग्यारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2000–2001 के लिये अपनी अन्तरिम सिफारिशें केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं। केन्द्र सरकार ने आयोग की अन्तरिम सिफारिशों को वर्ष 2000–2001 के लिये कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में स्वीकार कर लिया है। आयोग ने आय कर व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अन्तरण हेतु संविधान के वर्तमान प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही सिफारिशें की हैं, जबकि केन्द्र सरकार ने दसवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कर राजस्व के अन्तरण की वैकल्पिक योजना लागू करने की दृष्टि से संसद में ८९वाँ संविधान संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत कर दिया है। केन्द्र सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट पर निर्णय लेकर

कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) संसद में प्रस्तुत किया है उसमें भी यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के निर्णय के पश्चात् इसकी समीक्षा की जायेगी। संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित करने की स्थिति में राज्य को राशियों का वितरण किस प्रकार होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। ग्यारहवाँ वित्त आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 जून, 2000 तक देगा, उसके पश्चात् ही राज्य को मिलने वाली राशियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट होगी। अतः ग्यारहवें वित्त आयोग की अन्तिम रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार के निर्णय के पश्चात् मैं माननीय सदस्यों को राज्य के वित्त पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत करा सकूंगा।

19. जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया इस वर्ष दूसरे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय नगर निकायों को अधिक प्रभावशाली बनाने व राजकोष से इन संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता राशि के सम्बन्ध में सिफारिशें देगा। ग्यारहवें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण

राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दे सका है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर उनके सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लेकर कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।

20. आगामी वर्ष की योजना फिलहाल 4 हजार 146 करोड़ 15 लाख रूपये की निर्धारित की गई है। अभी योजना आयोग से राज्य की आगामी वर्ष की योजना के सम्बन्ध में चर्चा होना शेष है। योजना आयोग से चर्चा के पश्चात् योजना आकार में यदि परिवर्तन होगा तो तदनुसार मैं सदन को अवगत कराऊंगा। योजना का आकार निर्धारित करते समय हमारे सामने मुख्य मुद्दा यह था कि या तो हम कर्ज लेकर योजना का आकार और बड़ा रखें अथवा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए व सीमित मात्रा में कर्ज लेकर एक व्यावहारिक आकार निर्धारित किया जाये। अधिक कर्ज लेने के दुष्परिणामों से माननीय सदस्य परिचित हैं क्योंकि इसका प्रभाव लम्बे समय तक राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। अतः हम फिलहाल योजना का आकार बड़ा रखने के पक्ष में नहीं हैं।

21. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इस वर्ष भी राज्य के बड़े भाग में बहुत कम वर्षा हुई है। इसके कारण अकाल की स्थिति बन गई है। अकाल से निबटने के लिये हमने केन्द्र सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत कर 1144 करोड़ 40 लाख रुपये की मदद मांगी है। इस स्थिति से निबटने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 103 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है जो पर्याप्त नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष के अकाल के समय हमने केन्द्र सरकार को 960 करोड़ रुपये की सहायता देने हेतु ज्ञापन दिया था, किन्तु केन्द्र सरकार ने केवल 21 करोड़ 98 लाख रुपये की अल्प सहायता राशि दी जो भी अकाल से निबटने के लिए अपर्याप्त थी।

22. अकाल के कारण किसी भी सूरत में जनहानि या पशुधन हानि नहीं होने दी जायेगी। मैं इस सदन के माध्यम से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी वित्तीय स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सरकार अकाल राहत कार्यों को

सर्वोच्च प्राथमिकता देगी व इसके लिये धन की कमी नहीं आने दी जायेगी। गैर–सरकारी व स्वयंसेवी संस्थाओं के योगदान का सदैव की भांति स्वागत किया जायेगा।

23. सरकार अपने वैधानिक एवं अन्य दायित्वों के निर्वहन में पारदर्शिता रखेगी तथा भय एवं भ्रष्टाचार से मुक्त वातावरण उपलब्ध करायेगी। सूचना प्राप्त करने के अधिकार को अधिक व्यापक व सुदृढ़ बनाया जायेगा। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों का परीक्षण कर कार्यपद्धति आदि में आवश्यक परिवर्तन किया जायेगा। इन सभी उपायों से सेवाओं के स्तर में गुणात्मक सुधार के साथ राजकीय व्यय में मितव्ययता सम्भव होगी।

24. जैसा कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख किया गया था राज्य सरकार ने जन कल्याण कार्यों को सम्पादित करने के लिए 15 प्राथमिकतायें निर्धारित की हैं। इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं उनका अब मैं उल्लेख करूंगा।

आर्थिक समीक्षा :

25. कृषि प्रधान राज्य होने के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति वर्षा पर बहुत निर्भर रहती है। इस वर्ष राज्य में औसत से कम वर्षा होने के कारण खरीफ व रबी के उत्पादन में आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। इससे राज्य का घरेलू उत्पादन प्रभावित हुआ है। फिर भी त्वरित अनुमानों के आधार पर प्रचलित कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 67 हजार 805 करोड़ रुपये का होने की संभावना है जो कि विगत वर्ष से 3.31 प्रतिशत अधिक है। आगामी वर्ष में राजकीय निवेश व निजी निवेश को दृष्टिगत रखते हुए 6 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित है। यह वृद्धि दर एक अच्छे मानसून पर भी निर्भर करेगी।

कृषि :

26. राज्य के तीन चौथाई लोग कृषि एवं सम्बद्ध कार्यों से जीवन यापन करते हैं। अतः कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। कृषि विभाग की

विभिन्न गतिविधियों के लिये आगामी वर्ष में 129 करोड़ 10 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 202 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ व रबी की विभिन्न फसलों की बुवाई किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 4 लाख 40 हजार क्विन्टल प्रमाणित एवं उन्नत बीज कृषकों को उपलब्ध कराये जायेंगे।

27. बहुधा हमारे राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकाल के दुष्प्रभाव से राहत दिलाने के लिये जल ग्रहण योजनायें चलाई जा रही हैं। जल ग्रहण योजनाओं के अन्तर्गत अगले वर्ष में 56 करोड़ 65 लाख रूपये के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

28. राज्य में भूमिगत जल की निरन्तर कमी को ध्यान में रखते हुये इसके कुशलतम उपयोग हेतु बूंद–बूंद सिंचाई पद्धति को अधिक महत्व दिया जा रहा है। बूंद–बूंद सिंचाई हेतु आगामी वर्ष में 2 करोड़ 7 लाख रूपये व्यय करने का प्रस्ताव है तथा 16 सौ हैक्टेयर क्षेत्र में बूंद–बूंद सिंचाई संयत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मसाला फसलों एवं

सब्जी फसलों के अन्तर्गत 10–10 हजार हैक्टेयर नवीन क्षेत्र में बुवाई का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज :

29. 'ग्राम स्वराज्य' के स्वप्न को साकार करने तथा गांवों में बेरोजगारी व क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत आधार–भूत ढांचे एवं अन्य जनोपयोगी परिसम्पत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी। आगामी वर्ष में इस हेतु 227 करोड़ 82 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

30. राज्य में पानी की गंभीर समस्या को ध्यान में रख कर पारम्परिक जल स्रोतों के रख–रखाव एवं सुदृढ़ीकरण की योजना को मूर्त रूप दिया जायेगा। जन–सहभागिता के द्वारा 'राजीव गांधी पारम्परिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम' नामक योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागू किया जायेगा।

31. राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, जहां अन्य पिछड़ी जातियों एवं अल्प–संख्यक लोगों का बाहुल्य है, के उत्थान के लिए "मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम " बनाया गया है। इस हेतु फिलहाल ग्राम पंचायतों को चिन्हित करने के लिए 10 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

32. राज्य में मरू प्रसार को रोकने की दृष्टि से मरू–विकास–कार्यक्रम की विशिष्ट परियोजना हेतु आगामी वर्ष में 54 करोड़ 88 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

33. माह जनवरी, 2000 में पंचायती चुनाव के संवैधानिक दायित्व पूर्ण करने के उपरान्त इन संस्थाओं के नवचयनित एक लाख बीस हजार जन प्रतिनिधियों को बेहतर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर की जायेगी।

34. माननीय विधानसभा सदस्यगणों द्वारा विभिन्न विकास कार्य स्वयं के स्तर पर निर्णय कर कराने हेतु गत बजट सत्र में प्रति सदस्य 25 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया था। यह योजना आगामी वर्ष भी जारी रखी जायेगी जिसके लिये आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस वर्ष में शेष रही राशि का उपयोग आगामी वर्ष में किया जा सकेगा।

सहकारिता :

35. किसानों को खाद–बीज–कीटनाशक आदि कृषि आदान सुलभ कराने में सहकारी अल्प कालीन ऋण की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य में इस वर्ष के 900 करोड़ रुपये के लक्ष्य से भी अधिक अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरित किये गये हैं। वर्ष 2000–2001 में किसानों को लगभग 1 हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली

सहकारी ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त भूमि विकास बैंकों के माध्यम से वर्ष 2000–2001 में 257 करोड़ 50 लाख रुपये के दीर्घकालीन सहकारी ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

सिंचाई :

36. वर्ष 2000–2001 में राज्य में सिंचाई प्रबंधन के लिए 332 करोड़ 69 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 21 हजार 500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना :

37. हमारे प्रदेश में 60 प्रतिशत भाग रेगिस्तानी है व जल संसाधनों की बहुत कमी है, अतः इंदिरा गांधी नहर का विशेष महत्व है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिये अगले वर्ष में 120 करोड़ रुपये का आयोजना मद में प्रावधान प्रस्तावित है। चालू वर्ष के

अन्त तक इस परियोजना के अन्तर्गत 12 लाख 78 हजार हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई हेतु उपलब्ध हो जायेगा। अगले वर्ष 150 किलोमीटर पक्की नहरों का निर्माण कर 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई हेतु उपलब्ध होगा।

सिंचित क्षेत्र विकास :

38. आगामी वर्ष में इंदिरा गांधी नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र विकास के लिए 96 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसका उपयोग विशेषकर पक्के खालों के निर्माण, सेम समस्या निवारण एवं कृषि विस्तार कार्यक्रमों पर किया जायेगा। इसके फलस्वरूप 42 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होना सम्भावित है।

39. हनुमानगढ़, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में कृषि उपज की समुचित विपणन व्यवस्था स्थापित करने के लिए मण्डी क्षेत्रों का विकास किया जायेगा। इसके लिए आगामी वर्ष में 2 करोड़ 33 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

40. चम्बल परियोजना क्षेत्र में विकास हेतु 19 करोड़ 48 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जिसमें 88 लाख रुपये "राजाड" परियोजना के माध्यम से व्यय किये जायेंगे।

पेय जल :

41. राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति के लिए आगामी वर्ष में 1 हजार 230 करोड़ 89 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

42. फ्लोराइड–नियन्त्रण योजनान्तर्गत भिनाय एवं मसूदा क्षेत्र में, जिसमें विजयनगर एवं गुलाबपुरा भी शामिल हैं, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 43 करोड़ 99 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना को 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना पर लगभग 15 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

43. भरतपुर एवं धौलपुर जिलों के 212 गांवों को चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत की गई है जिसकी अनुमानित लागत 166 करोड़ 53 लाख रुपये है। इस योजना पर अगले वर्ष 15 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

वन:

44. वर्ष 2000–2001 में वनों के विकास के लिए योजना मद में कुल 101 करोड़ 35 लाख रूपयों का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें से जापान सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही वानिकी विकास परियोजना के क्रियान्वयन पर 27 करोड़ रुपये व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण पर 15 करोड़ रुपये का व्यय करने का प्रस्ताव है। 'अरावली वृक्षारोपण परियोजना' जो अब समाप्त हो रही है, के स्थान पर नवीन परियोजना 'अरावली फोरेस्ट्री प्रोजेक्ट' की स्वीकृति वर्ष 2000–2001 में होना संभावित है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है एवं इस अवधि में 430 करोड़ 50 लाख रुपये

व्यय होंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आगामी वर्ष में 45 करोड़ रूपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

45. बनास नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में जल एवं संरक्षण कार्य कराने के लिए कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1999–2000 में प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2000–2001 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

46. मरू क्षेत्र के 10 जिलों में वृक्षारोपण के लिए आगामी वर्ष में 14 करोड़ 62 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। इस राशि से टिब्बा स्थिरीकरण (Sand Dunes Stabilisation), सामुदायिक भूमि वृक्षारोपण एवं वृक्षावली वृक्षारोपण के कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।

47. राज्य में वर्ष 2000–2001 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 15 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जायेगा।

सड़कें :

48. राज्य में 876 किलोमीटर राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों को चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण करने तथा 1798 किलोमीटर सड़कों के रख–रखाव के लिये 1 हजार 560 करोड़ रुपये की राज्य सड़क परियोजना विश्व बैंक की सहायता से प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रयोजन हेतु आगामी वर्ष 140 करोड़ 83 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

49. राज्य की सड़कों की मरम्मत एवं रख–रखाव के लिये आगामी वर्ष 30 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान करने का मैं प्रस्ताव करता हूँ।

50. आगामी वर्ष ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर 58 करोड़ 74 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है जिससे लगभग 588 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जायेगा। इस निर्माण से लगभग 160 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना सम्भव होगा जिनमें 128 पंचायत मुख्यालय भी शामिल हैं।

51. राज्य में आधारभूत ढांचागत विकास को गति देने के लिए निजी निवेशकों को बी.ओ.टी. (Build, Operate and Transfer) आधार पर धन लगाने हेतु आकर्षित किया जा रहा है। निजी निवेश की 150 करोड़ रुपये की 15 परियोजनाओं के लिये निविदाएं आमन्त्रित कर ली गई हैं तथा लगभग 118 करोड़ रुपये की 14 परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसी दिशा में अन्य सम्भावित परियोजनाएं तैयार कर निजी निवेश द्वारा निर्माण कार्य कराये जायेंगे।

52. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2000–2001 में 116 करोड़ 44 लाख रुपये सम्पर्क सड़कों के निर्माण व मण्डी यार्ड के विकास पर व्यय किये जायेंगे।

उद्योग :

53. जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया था हम राज्य में निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं जिससे रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हों तथा राज्य की आर्थिक उन्नति हो।

इस दृष्टि से हमने प्रक्रियाओं के सरलीकरण के साथ–साथ उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया है जिससे देश के व्यापार जगत में राजस्थान के बारे में अनुकूल वातावरण बना है। एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा शासन की गुणवत्ता के बारे में किये गये सर्वेक्षण में राजस्थान वर्ष 1999 में छठे स्थान पर रहा जबकि वर्ष 1997 के सर्वेक्षण में राजस्थान का स्थान 18वाँ था।

54. मुझे माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि पुनर्गठित बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रचर एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की दो बैठकों में 1 हजार 574 करोड़ रुपये के निजी निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त 4500 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिन पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

55. इस वर्ष जनवरी में सभी राज्यों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि उद्योगों को बिक्रीकर में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाये। इससे सभी राज्यों के बीच चल रही अवांछित प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी। लेकिन यह भी निश्चित है कि अब उद्योग उन राज्यों में

अधिक लगेंगे जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर का स्तर बेहतर होगा। अतः राज्य में औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का स्तर देश के अन्य राज्यों की तुलना में किसी भी तरह कम नहीं रहे, इसके लिये राज्य सरकार कटिबद्ध है और इस दिशा में कारगर कदम उठाये जायेंगे।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

56. पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान न सिर्फ भारत के अपितु विश्व के पर्यटन मानचित्र में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 1999–2000 में भारत सरकार द्वारा आमेर महल, जयपुर को सर्वोत्तम पर्यटक मित्र स्मारक पुरस्कार दिया गया है।

57. आगामी वर्ष में ओसियां मन्दिर – जोधपुर, किराडू मन्दिर – बाड़मेर, आमेर महल– जयपुर, शाही छतरियां मण्डोर – जोधपुर, मेवाड़ काम्पलेक्स – उदयपुर व अन्य पर्यटक स्थलों पर सम्पर्क सुविधाओं के विकास एवं संरक्षण का कार्य कराया जाना

प्रस्तावित है। अगले वर्ष हेतु पूंजीगत कार्यों के लिये 1 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। अधिकाधिक पर्यटकों को राजस्थान भ्रमण हेतु आकर्षित करने के लिये सदैव की भांति मेले व त्यौंहार आयोजित किये जायेंगे। राज्य के ऐतिहासिक व विशिष्ट पर्यटक स्थलों के सम्बन्ध में देश–विदेश में प्रचार–प्रसार के लिये आगामी वर्ष में मैं 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करना प्रस्तावित करता हूँ।

स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास :

58. जयपुर तथा अन्य शहरों में सरकारी भूमि एवं सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई वर्तमान में चल रही है उसे आम जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस बड़ी कार्रवाई की प्रदेश में व प्रदेश के बाहर भी बहुत प्रशंसा की गई है। इस कार्रवाई के पीछे हमारा उद्देश्य बेहतर नागरिक सुविधायें प्रदान करने के साथ शहरों के ऐतिहासिक स्वरूप को बनाये रखना व सौन्दर्यकरण करना है। शासन को ज्ञात है कि जिन

निम्न आय वर्ग के लोगों को हटाया गया है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अतः हम वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराकर ऐसे लोगों का पुनर्वास करेंगे।

59. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा की जा रही है। इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने शहरों के नवीनीकरण हेतु स्थानीय निकायों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में इस कार्य हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अलावा मैं इस कार्य के लिये 6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करना प्रस्तावित करता हूँ।

60. एशियन विकास बैंक द्वारा राज्य के 6 बड़े नगरों, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर व बीकानेर के ढांचागत विकास के लिये 1 हजार 529 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था, जल–मल निकास, सड़कों व पार्किंग व्यवस्था में सुधार, कच्ची बस्ती सुधार, पर्यावरण सुधार,

कचरा प्रबन्धन, यातायात प्रबंधन एवं अग्नि शमन से सम्बन्धित कार्य किये जायेंगे। इस परियोजना से सम्बन्धित कार्य आगामी वर्ष से प्रारम्भ कर 2004–2005 तक किये जायेंगे। आगामी वर्ष इस परियोजना हेतु 40 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

न्याय :

61. आगामी वर्ष 30 नये न्यायालय खोलने का प्रस्ताव है जिसके लिये 1 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्माण हेतु आगामी वर्ष में 2 करोड़ 49 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

विद्युत :

62. आगामी वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल हेतु योजनान्तर्गत 925 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें से 400 करोड़ रुपये उत्पादन मद में,

245 करोड़ 60 लाख रुपये प्रसारण मद में, 150 करोड़ रुपये उपप्रसारण व वितरण मद में तथा 130 करोड़ रुपये ग्रामीण विद्युतीकरण मद में व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

63. उत्पादन मद में किया जाने वाला व्यय मुख्यतः सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह से सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर किया जायेगा।

64. प्रसारण कार्यों के अन्तर्गत 132 के.वी. तक के विभिन्न क्षमताओं के 17 नये सब–स्टेशन बनाये जाने प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त प्रसारण तन्त्र सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान में कार्यरत 132 के.वी. तक के सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए 547 किलोमीटर लाइनें डालना प्रस्तावित है।

65. उपप्रसारण एवं वितरण प्रणाली में सुधार के लिए तथा एल.टी. लैस सिस्टम हेतु 850 किलोमीटर लाइनें डालकर 33/11 के.वी. के 100 नये सब–स्टेशन लगाने का प्रस्ताव है।

66. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 500 गाँवों का विद्युतीकरण, 25 हजार कुओं का ऊर्जीकरण, 10 हजार कुटीर ज्योति कनेक्शन व 150 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करना शामिल है।

67. राज्य सरकार विद्युत क्षेत्र में सुधार तथा पुनर्संरचना करने हेतु वचनबद्ध है। इस दृष्टि से राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कर दिया गया है व इस आयोग ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। विद्युत से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में निजी निवेश व निजी भागीदारी को बढावा दिया जायेगा। हमें आशा है कि राज्य में विद्युत आपूर्ति इन सुधारों से और बेहतर होगी।

68. केन्द्र सरकार ने बीकानेर जिले के बरसिंगसर में 500 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ होने की आशा है।

69. गैर–परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा 250 गाँवों का विद्युतीकरण करने का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा, जिसमें प्रत्येक गाँव में औसतन 40 परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा। सोलर फोटोवोल्टेयिक (Solar photo voltaic) तथा बॉयोगैसीफायर (Biogasifier) से स्थानीय ग्रिड बनाकर 20 ग्रामीण विद्युतीकरण की परियोजनाएं भी क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं में लगभग 20 करोड़ रुपये का निवेश होना अनुमानित है।

जन जाति क्षेत्रीय विकास :

70. जनजाति विकास की महाराष्ट्र प्रणाली 13 विभागों में लागू करने की इस वर्ष की बजट घोषणा के क्रम में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु आगामी वर्ष से सभी सम्बन्धित विभागों में यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु आगामी वर्ष में आयोजना मद की विभाज्य राशि (Divisible Outlay) के 8 प्रतिशत अर्थात

112 करोड़ रुपये का एक मुश्त प्रावधान प्रस्तावित है। तदनुसार जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जनजाति विकास कार्यों की प्राथमिकता तय कर उक्त राशि व्यय कर सकेगा।

71. राज्य में जनजाति कृषकों के लिये सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु आगामी वर्ष 2650 कुओं को गहरा कराने व 565 डीजल पम्प सैटों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है, इस कार्य हेतु अगले वर्ष 1 करोड़ 95 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में 24 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनायें, 25 एनिकट/वाटर शैड तथा 30 ट्यूबवेल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है एवं इन कार्यों हेतु अगले वर्ष 4 करोड़ 41 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

72. आगामी वर्ष 36 जनजाति बस्तियों के विद्युतीकरण करने तथा कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत 2 हजार 500 परिवारों को विद्युत कनेक्शन देकर लाभान्वित करने का लक्ष्य है जिसके लिये अगले वर्ष 87 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

73. तपेदिक रोग नियंत्रण हेतु राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के लिये 1 करोड़ 25 लाख रुपये व सहरिया परियोजना क्षेत्र के लिये 37 लाख 50 हजार रुपये का आगामी वर्ष में प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त फ्लोरोसिस नियंत्रण हेतु 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास :

74. राज्य में चल रहे विभिन्न महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों पर आगामी वर्ष 142 करोड़ 63 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

75. समाज में विवाह पर होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए सामूहिक–विवाह आयोजनों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सामूहिक विवाह के आयोजनों को प्रोत्साहित करने हेतु समाज के गणमान्य समाज सेवियों के साथ स्वयं सम्बद्ध हों। इस हेतु

राज्य सरकार आयोजकों को आर्थिक प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी। इसके लिए आगामी वर्ष में 10 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

76. आंगन बाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के पूरक पोषाहार कार्यक्रम हेतु वर्ष 2000–2001 में 13 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

समाज कल्याण :

77. वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। कमजोर वर्ग के छात्र–छात्राएँ इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहें, इस उद्देश्य से यह निश्चय किया गया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण दिलवाया जाये। तदनुसार आगामी वर्ष से प्रारम्भिक तौर पर जिला मुख्यालय पर स्थित ऐसे राजकीय छात्रावासों के छात्र–छात्राओं को राजकीय अथवा निजी संस्थानों के माध्यम

से निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। इस हेतु आगामी वर्ष में 57 लाख 60 हजार रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

78. प्रायः यह अनुभव किया गया है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के उन छात्र–छात्राओं के पास, जो समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहते हैं, पर्याप्त पुस्तकें व अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। अतः सरकार ने ऐसे छात्रावासों में पुस्तकालय हेतु राशि उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। प्रथम चरण में आगामी वर्ष छात्राओं हेतु संचालित 91 छात्रावासों में पुस्तकालय हेतु 4 लाख 55 हजार रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

79. राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा इंजीनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा में प्रवेश हेतु अब तक अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को ही राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अब यह सुविधा अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को भी उपलब्ध करवाई

जायेगी। सिविल सेवाओं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु वर्तमान में विभाग के माध्यम से राज्य एवं जिला स्तर पर संचालित पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के परिणाम आशानुकूल नहीं रहे हैं। अतः यह निश्चय किया गया है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र–छात्राओं को सिविल सेवाओं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु तैयारी प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से करवाई जायेगी। इसके अतिरिक्त एम.बी.ए. की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने हेतु भी इन वर्गों के छात्रों को तैयारी करवाई जायेगी।

80. मुख्य मन्त्री रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित करवाई जाने वाली छोटी दुकानों एवं स्टालों (Kiosks) में से 10 प्रतिशत दुकानें निःशक्त व्यक्तियों को आवंटित करने हेतु आरक्षण किया गया है। निःशक्त व्यक्तियों को उक्त छोटी दुकानें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेंगी व इनकी कीमत राज्य सरकार वहन करेगी।

81. गत बजट के समय हमने एक राज्य पिछड़ी जाति विकास वित्त निगम तथा राज्य अल्प संख्यक आयोग के अन्तर्गत एक वित्त प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव रखा था। राज्य

सरकार इन समुदायों के लघु उद्यमियों, दस्तकारों व कारीगरों को तकनीकी व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना चाहती है। वर्तमान में यह कार्य राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम कर रहा है जिसने केन्द्रीय अन्य पिछड़ी जाति विकास व वित्त निगम एवं केन्द्रीय अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम से ऋण प्राप्त करने के लिये अब तक क्रमशः 6 करोड़ रुपये व 3 करोड़ रुपये की राज्य सरकार से गारन्टी ले ली है। अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यकों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर अलग–अलग निगम बने हुए हैं। अतः राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यकों के लिये दो स्वतन्त्र निगम बनाने का निर्णय लिया है। इन निगमों का पंजीयन राजस्थान सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत करवाया जायेगा। ये निगम शीघ्र ही गठित किये जायेंगे। निःशक्तों एवं सफाई कर्मचारियों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

82. मूक, बधिर व नेत्रहीन बालकों के विद्यालयों के लिए शैक्षणिक उपकरण व अन्य आवश्यक पूंजीगत व्यय हेतु 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त इन विद्यालयों की अन्य समस्याओं पर विचार कर समाधान सुझाने के लिये सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। यह समिति अपनी रिपोर्ट 3 महीनों में प्रस्तुत करेगी।

83. स्वयं–सेवी संस्थानों द्वारा संचालित छात्रावासों में रह रहे निःशक्त छात्रों को देय मैस भत्ते की राशि 350 रुपये प्रतिमाह प्रतिछात्र से बढ़ाकर 675 रुपये प्रतिमाह करना प्रस्तावित है। इससे लगभग 750 छात्र लाभान्वित होंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

84. मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले बजट में हमने सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया था।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के इलाज के लिये 'मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष' की स्थापना की गई है। आगामी वर्ष इस कोष में अंशदान के लिये 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

85. एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम (द्वितीय चरण) हेतु विश्व बैंक की सहायता से 86 करोड़ 62 लाख रुपये की योजना स्वीकृत कराई गई है तथा इस योजना पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस कार्यक्रम हेतु अगले वर्ष 20 करोड़ 41 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

86. मेडिकल कालेजों में प्रवेश के दबाव को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र में 10 मेडिकल कॉलेजों एवं 17 डेन्टल कॉलेजों की राज्य में स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं।

87. क्षय रोग के प्रभावी नियन्त्रण हेतु भारत सरकार से 85 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत कराई गई है जिसके अन्तर्गत 12 जिलों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। आगामी वर्ष में शेष समस्त जिलों में योजना का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। इस योजना हेतु अगले वर्ष 20 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

88. जयपुर– दिल्ली व जयपुर–आगरा राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर दुर्घटना होने की स्थिति में तत्काल रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोटपूतली एवं महुवा में रक्त बैंक स्थापित करना प्रस्तावित है। इस हेतु 60 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

परिवार कल्याण :

89. राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण हेतु वर्ष 2000–2001 में 215 करोड़ 91 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन हेतु

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनसंख्या संदर्भ केन्द्र की स्थापना की घोषणा की गई है। जनसंख्या संदर्भ केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2000–2001 में 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा :

90. आगामी वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर कुल 2 हजार 978 करोड़ 47 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

91. शिक्षा के क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक नियंत्रण एवं भागीदारी बढ़ाने की दृष्टि से प्रारम्भिक शिक्षा का विषय एवं इससे सम्बन्धित निदेशालयों व अभिकरणों का प्रशासनिक नियंत्रण पंचायती राज विभाग को हस्तान्तरित किया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में किये गये विनियोजन के स्तर को बनाये रखते हुये वर्ष 2000–2001 के योजना बजट में प्रारम्भिक शिक्षा पर 268 करोड़ 10 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

92. राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को और गति प्रदान करने की दृष्टि से आगामी वर्ष में 11 हजार राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालायें खोलने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों में ढ़ाणियों, मजरों व शहरी कच्ची बस्तियों में, जहां वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां ऐसी पाठशालायें खोलने के लिये राज्य सरकार आवश्यक अनुदान उपलब्ध करायेगी। ऐसे 600 मदरसे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहेंगे उनको उपरोक्त योजना में शामिल कर आवश्यक अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

93. प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए 10 जिलों में विश्व बैंक की मदद से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पर वर्ष 1999 से 2004 तक की अवधि में 435 करोड़ 59 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। वर्ष 2000–2001 में इस कार्यक्रम पर 110 करोड़ 33 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

94. शिक्षाकर्मी कार्यक्रम के भाग तीन को लागू करने के लिए मार्च, 2000 से 5 वर्ष के लिये 240 करोड़ रुपये की योजना को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 2000–2001 में इस कार्यक्रम हेतु 42 करोड़ 92 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

95. राज्य में विभिन्न स्तर के विद्यालयों की मांग को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष 1 हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व 200 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार 200 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है।

96. गत दिनों में शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के पदों की संख्या निर्धारित करने की समानीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके परिणामस्वरूप 16 हजार से अधिक पद आवश्यकता से अधिक पाये गये तथा इन पदों पर कार्यरत शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार पदस्थापित किया गया है।

यदि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती तो स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति करने से राज्य सरकार को लगभग 120 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय करने पड़ते।

97. इस वर्ष स्वीकृत मूक एंव बधिर विद्यालय, बीकानेर तथा अंध विद्यालय, जोधपुर आगामी वर्ष से प्रारम्भ किये जायेंगे। इसके लिये 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा :

98. उच्च शिक्षा पर आगामी वर्ष 232 करोड़ 53 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

99. उच्च शिक्षा के विकास एवं विस्तार में निजी क्षेत्र का सहयोग भी लिया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार शीघ्र ही एक नीति जारी करेगी।

तकनीकी शिक्षा :

100. तकनीकी शिक्षा पर आगामी वर्ष में 53 करोड़ 89 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। कम्प्यूटर शिक्षा के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कम्प्यूटर संबंधी शिक्षा प्रदान करायी जाये। इस दृष्टि से प्रायोगिक तौर पर जिला मुख्यालयों पर स्थित 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के चुने हुए मेधावी छात्रों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसके लिये आगामी वर्ष 25 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

सूचना प्रौद्योगिकी :

101. सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु आगामी वर्ष 2 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

102. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यापार के विस्तार की असीमित सम्भावनाएं हैं। सरकार कटिबद्ध है कि राज्य विश्व स्तर की सूचना प्रौद्योगिकी का गढ़ बने। इसी बिन्दु को ध्यान में रखते हुए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी नीति बनाई गई है। इस नीति में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना, राज्य के सभी 9 हजार 184 पंचायत मुख्यालयों को इन्टरनेट से जोड़ने के उद्देश्य से अगले चार वर्षों में निजी क्षेत्र के सहयोग से आधारभूत ढांचा (Infrastructure) तैयार करना तथा राज्य के शासन तन्त्र को अधिक चुस्त, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जाना शामिल है।

103. वर्तमान समय में साक्षरता की परिभाषा ही बदलने लगी है व ' शिक्षित ' व्यक्ति के लिए कम्प्यूटर का ज्ञान भी अति आवश्यक हो गया है। अतः शासन सूचना प्रौद्योगिकी से भावी पीढ़ी को भलीभांति पारंगत बनाने की दृष्टि से एक महत्वाकांक्षी योजना का सूत्रपात

करने का विचार रखता है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण अंचल के चुने हुए विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था प्रारम्भ करने के लिए 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करना प्रस्तावित है।

कर्मचारी कल्याण :

104. कर्मचारियों की उचित मांगों पर सरकार सदैव सहानुभूति रखती है लेकिन कर्मचारियों को अपनी मांगें रखते समय सरकार की वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिये व हड़ताल जैसा कदम नहीं उठाना चाहिये। कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर सिफारिशें देने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति राज्य कर्मचारियों व राज्य सरकार का पक्ष सुनकर अनुशंसायें देगी। समिति शीघ्र गठित की जायेगी व तीन महीनें में अपनी सिफारिशें देगी।

सैनिक कल्याण :

105. श्रीमन् ! आपको ज्ञात है कि कारगिल युद्ध के दौरान शहीद सैनिकों के परिवारों की मदद के लिये जनता तथा राज्य कर्मचारियों ने समुचित अंशदान दिया है। राज्य सरकार द्वारा इन शहीदों के परिवारजनों को दी गई आर्थिक सहायता की सभी ने सराहना की है।

106. कारगिल युद्ध से पूर्व के अन्य युद्धों में शहीद हुए वीर सपूतों की विधवाओं को राज्य की ओर से दी जा रही सहायता राशि आगामी वर्ष से 300 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ी हुई राशि का भुगतान मुख्यमंत्री सहायता कोष में शहीदों के परिवारों की मदद हेतु समय–समय पर राज्य की जनता एवं कर्मचारियों से एकत्र राशि में से शेष रही राशि के ब्याज से किया जायेगा।

भाग – 2

श्रीमन् ! अब मैं कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

107. राज्य की माली हालत को सुधारने के लिए मैंने एक कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की है जिसमें फिजूलखर्ची रोकने के साथ–साथ राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाया जाना सम्मिलित है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि करारोपण तथा कर वसूली की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार किये जायें ताकि राजस्व में इज़ाफा तो हो परन्तु करदाताओं को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।

108. अपेक्षाकृत संपन्न करदाताओं से थोड़ा और सहयोग लेने के इरादे से टर्नओवर टैक्स लगाये जाने का प्रस्ताव पेश करता हूँ। इस टैक्स को लागू करने के लिए राजस्थान

बिक्री कर अधिनियम में एक नई धारा 13 'अ' जोड़ने का प्रस्ताव है। फिलहाल यह टैक्स स्लैब प्रणाली के आधार पर लगेगा तथा पचास लाख रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले डीलर्स को इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जा रहा है। टर्नओवर की घोषणा व्यापारी स्वयं अपने हलफनामे के आधार पर कर सकेंगे तथा वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा टर्नओवर की तफ्तीश के लिए बही खाते नहीं देखे जायेंगे। इस टैक्स से लगभग 20 करोड़ रुपये की सालाना आमदनी होगी।

109. कुछ और आमदनी जुटाने के सिलसिले में मैं नया व्यवसाय कर (Profession Tax) विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस टैक्स के बारे में व्याप्त भ्रान्तियों के निराकरण के लिए आज नई अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। अब यह टैक्स केवल अधिसूचित श्रेणी के उन व्यक्तियों पर लगेगा जो इन्कम टैक्स देते हैं तथा जिनकी सालाना आमदनी डेढ़ लाख रुपये से अधिक है। यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि केवल इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से व्यवसाय कर देने की जिम्मेदारी नहीं बनेगी। यह टैक्स केवल उन पर

लगेगा जो वास्तव में आयकर देते हैं तथा जिनकी सालाना आमदनी डेढ़ लाख रुपये से अधिक है। आमदनी की घोषणा के बारे में self assessment के आधार पर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा भी दी जा रही है।

110. भारतीय सेना के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों की विधवाओं, विकलांगों, विमंदित तथा विकलांग बच्चों के अभिभावकों तथा केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को व्यवसाय कर के दायरे से बाहर रखा जा रहा है। इस टैक्स से लगभग 14 करोड़ रुपये की सालाना आमदनी होगी।

111. राजस्थान बिक्री कर अधिनियम तथा राजस्थान बिक्री कर नियमों में कुछ संशोधन किये जा रहे हैं जिनसे कर वसूली की प्रक्रिया में सुधार होगा तथा करवंचना की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।

112. फार्म 18 ए तथा 18 सी के बारे में कई अभ्यावेदन (Representations) प्राप्त हुये। डीलर्स की कठिनाइयों के निराकरण हेतु फार्म 18 ए का सरलीकरण किया जा रहा है।

113. फार्म 18 सी की प्रति कन्साईनी (Consignee) से वापिस मंगवाने में आने वाली कठिनाई को देखते हुये यह प्रस्तावित है कि इस फार्म की प्रति के स्थान पर कन्साइनी (Consignee) की पावती रसीद शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत की जा सकेगी।

114. पिछले वर्षों में बिक्री कर तथा प्रवेश कर के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं के लिए प्रशमन योजनाऐं (कम्पोजीशन स्कीम्स) लागू की गई थीं। इनमें से कुछ योजनाओं के परिणाम तो अच्छे रहे परन्तु कुछ वस्तुओं पर कम्पोजीशन स्कीम्स से आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि फिलहाल कम्पोजीशन स्कीम्स में केवल तीन माह की वृद्धि, जो कि दिनांक 30 जून, 2000 तक होगी, की जाये। इस अवधि

में इन योजनाओं से हुई राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की जायेगी और उसके आधार पर इनकी अवधि आगे बढ़ाने या नहीं बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

115. मिनरल वॉटर पर वर्तमान में 10 प्रतिशत कर देय है। कतिपय विनिर्माताओं द्वारा वॉटर बॉटल के लेबल पर अंकित वस्तुनाम भिन्न होने से करापवंचन की संभावना अधिक रहती है। इस संबंध में एक नई प्रविष्टि 'वॉटर सोल्ड इन सील्ड बोटल्स एण्ड कन्टेनर्स' को 12 प्रतिशत टैक्स के स्लैब में रखा जाना प्रस्तावित है। परन्तु इंजेक्शन के साथ काम में आने वाले डिस्टिल्ड वॉटर पर 8 प्रतिशत टैक्स ही लगेगा।

116. राजस्व प्राप्तियों में कुछ इजाफा करने के लिए निम्नांकित वस्तुओं की कर दर बढ़ाया जाना प्रस्तावित है :

पान मसाला	– 16 प्रतिशत से 20 प्रतिशत
सौफ्ट ड्रिंक्स (एरिएटेड वॉटर)	– 16 प्रतिशत से 18 प्रतिशत
सभी प्रकार के प्रिन्टेड कार्ड	– 4 प्रतिशत से 8 प्रतिशत

रेशम	–	करमुक्त से 2 प्रतिशत
नोन एल्कोहोलिक पोटेबल ड्रिन्क्स आदि	–	12 प्रतिशत से 16 प्रतिशत
आयातित सैंट व परफ्यूम आदि	–	20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत

117. टैन्ट, कनात, छोलदारी आदि की लीजिंग पर लागू कम्पोजीशन स्कीम के अन्तर्गत हाल में देय राशि 900 रुपये प्रति लाख रुपये टर्नओवर पर, को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति लाख रुपये टर्नओवर पर किया जाना प्रस्तावित है।

118. कर दरों में उक्त बढ़ोतरी से लगभग 10 करोड़ रुपये की सालाना आमदनी होगी।

119. राज्य की कर राजस्व प्राप्तियों में से लगभग 50 प्रतिशत राशि बिक्री कर के माध्यम से प्राप्त होती है। नियमित रूप से बिक्री कर अदा करने वाले डीलर्स की राज्य के विकास में अहम भूमिका है। जो डीलर्स नियमित रुप से कर चुकाते हैं उनके लिए

एक गोल्डन कार्ड योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड धारी डीलर्स की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

120. बिक्री कर की दरों, नियमों व अधिसूचनाओं की ताजा जानकारी के लिए इन्टरनेट पर एक नया वेबसाइट खोला जा रहा है।

121. राज्य में स्टेनलैस स्टील बर्तन उद्योग की अहमियत को देखते हुये बर्तनों के विनिर्माण में काम आने वाले पट्टे तथा पट्टे के विनिर्माण में काम आने वाले स्टेनलैस स्टील के कच्चे माल के रूप में उपयोग पर उपलब्ध रियायतों को एक वर्ष के लिये बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

122. पिछले बजट में दी गई कुछ रियायतों की अवधि 31 मार्च, 2000 को समाप्त हो रही है। इनमें से कतिपय रियायतों को एक वर्ष के लिए दिनांक 31 मार्च, 2001 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

123. हस्तनिर्मित औजार (Hand Tools), रि–रोलिंग मिल्स (Re-rolling Mills) व सोलिड ब्रिकेट (Solid Briquette) के संबंध में अधिसूचनाओं की व्याख्या से उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण के लिए इन वस्तुओं के संबंध में जारी अधिसूचनाओं में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं।

124. फ्लोर रेट प्रणाली लागू करने से कुछ वस्तुओं के सन्दर्भ में वर्गीकरण की समस्या उत्पन्न हुई है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने केन्द्रीय सरकार को कई बार लिखा भी है। राज्य में व्याप्त अकाल से जूझते हुये पशुधन को बचाने के लिए ऑयल केक तथा डिऑयल्ड केक के बारे में शीघ्र निर्णय किया जाना आवश्यक है। फ्लोर रेट प्रणाली के अन्तर्गत ऑयल केक तथा डिऑयल्ड केक को कर योग्य माना गया है जबकि पशु आहार को कर मुक्त रखा गया है। मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि सभी प्रकार के डिऑयल्ड केक तथा ऑयल केक जिनमें बिनौले के डिऑयल्ड केक व ऑयल केक भी शामिल हैं, जिन्हें पशुआहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, को कर मुक्त रखा जाये।

125. बिस्कुट व कन्फेक्शनरी की कर दर को फ्लोर रेट निर्णय के अनुसार 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया था। अब फ्लोर रेट को केन्द्रीय सरकार द्वारा संशोधित कर 8 प्रतिशत कर दिया गया है। अतः यह प्रस्तावित है कि बिस्कुट व कन्फैक्शनरी पर कर की दर को संशोधित फ्लोर रेट के अनुरुप जनहित में पुनः 8 प्रतिशत कर दिया जावे ।

126. बिक्री कर की दरें अधिक होने की वजह से कुछ वस्तुओं के व्यापार पलायन के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुये। व्यापार पलायन रोकने की दृष्टि से प्रायोगिक तौर पर एक वर्ष के लिए पंखों पर बिक्री कर की दर 8 प्रतिशत तथा सूखे मेवे पर बिक्री कर की दर 4 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है।

127. व्यापार पलायन रोकने के क्रम में घी, चौंले तथा बस बॉडी पर से सरचार्ज हटाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही यह भी प्रस्तावित है कि कैलशियम कार्बोनेट पर अन्तर्राज्यीय बिक्री कर की दर को 4 प्रतिशत से कम कर 2 प्रतिशत कर दिया जाये।

128. कुछ समय पूर्व एक अधिसूचना जारी कर सीमेन्ट पर अन्तर्राज्यीय बिक्री कर की 6 प्रतिशत दर पर फार्म 'सी' की अनिवार्यता समाप्त की गई थी। यह सुविधा अब ए.सी. प्रेशर पाइप के सन्दर्भ में भी दिया जाना प्रस्तावित है।

129. अधिकांश मिनिसिमेन्ट इकाइयां बीमारू हालत में हैं। इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इन इकाइयों पर लागू योजना की अवधि बढ़ाया जाना तथा सालाना फी को 6 लाख रुपये से कम कर 3 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

130. हाल ही में बैटरी ऑपरेटेड मोटर वाहनों का प्रचलन शुरु हुआ है। प्रदूषण को नियंत्रित करने की दृष्टि से बैटरी ऑपरेटेड मोटर वाहनों को कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

131. विकलांगों के कल्याण के इरादे से मैं विकलांगों के लिये बने स्कूटर व कार को भी कर मुक्त किये जाने का प्रस्ताव करता हूँ।

132. साथ ही निम्नांकित वस्तुओं को भी कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है :

सिलाई मशीन के कवर

क्रोशिया

मुल्तानी मिट्टी

पिचकारी

आयरन की गोली (दवा)

फौलिक एसिड

फुटबाल

वॉलीबाल

चैसबोर्ड

कैरमबोर्ड

सुरमा

पपेटस (Puppets)

पूजा का चौपड़ा

गमले

मोटर वाहन कर :

133. वर्तमान में मोटर वाहन कर की एकमुश्त अदायगी की सुविधा कुछ श्रेणियों के वाहनों के लिए उपलब्ध है। अब इस सुविधा का विकल्प ऑटोरिक्शा तथा ऑटोतांगा को भी दिया जाना प्रस्तावित है।

134. हमारे राज्य से होकर गुजरने वाले अन्य राज्यों के अस्थाई रूप से रजिस्टर्ड वाहन व चैसिस चूंकि हमारी सड़कों का प्रयोग करते हैं अतः ऐसे वाहनों को भी टैक्स के दायरे में शामिल किया जा रहा है। साथ ही सरेण्डर्ड वाहनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु शास्ति के ढांचे को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

135. मोटर वाहन कर के करारोपण की प्रक्रिया को सुधारने तथा करापवंचन को रोकने हेतु कुछ प्रक्रियात्मक सुधार भी किये जा रहे हैं।

136. मोटरवाहन कर में किये जाने वाले परिवर्तनों के फलस्वरुप लगभग 10 करोड़ रुपये की सालाना आमदनी होगी।

होटलों पर विलासिता कर :

137. वर्तमान में होटलों पर विलासिता कर (Luxury Tax) केवल उन कमरों पर देय है जिनका प्रतिदिन का किराया 1200 रुपये या उससे अधिक है। अब इस सीमा को 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही विलासिता कर की दर को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इस बढ़ोतरी से लगभग दो करोड़ रुपये की सालाना आमदनी होगी।

विद्युत् शुल्क :

138. अतिरिक्त संसाधन जुटाने की दृष्टि से विद्युत् शुल्क की दरों में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव पेश करता हूँ। घरेलू तथा व्यावसायिक, औद्योगिक तथा खनन, अस्थाई

कनैक्शन व स्वउत्पादित श्रेणियों पर लागू विद्युत शुल्क की दरों को 5 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया जाना तथा कृषि श्रेणी की मीटर्ड सप्लाई उप श्रेणी में विद्युत् शुल्क की दरों को 2 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र में विद्युत् शुल्क की फ्लैट रेट दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

139. उपरोक्त बढ़ोतरी से लगभग 50 करोड़ रुपये की सालाना आमदनी होगी।

मनोरंजन कर :

140. सिनेमाघरों द्वारा मनोरंजन कर का अपवंचन रोकने हेतु मनोरंजन कर की न्यूनतम सीमा सीटों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जा रही है।

141. सिनेमाघरों में बेहतर सुविधाओं की प्रदायगी के लिये लागू Utility Fee योजना को एक वर्ष के लिये बढ़ाया जाना प्रस्तावित है तथा नये सिनेमाघरों में

निवेशन (Investment) प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में लागू मनोरंजन कर मुक्ति की योजना को दो वर्ष के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

पंजीयन व मुद्रांक :

142. प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पंजीयन व मुद्रांक तथा भूमि व भवन कर के संबंध में पेश की गई रिपोर्ट्स का मैंने अध्ययन किया है। आयोग की कई महत्वपूर्ण सिफारिशों की क्रियान्विति मैं इस बजट में कर रहा हूँ। बाकी सिफारिशों के परीक्षण के लिए समय की आवश्यकता है। अतः उन पर कुछ समय बाद निर्णय लिया जायेगा।

143. वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि का मूल्य जिलास्तरीय समिति या इन्डैक्स–2 की दरों में जो भी अधिक हो के आधार पर तय किया जाता है। इस व्यवस्था से होने वाली कठिनाइयों के दृष्टिगत यह प्रस्तावित है कि अब भूमि का मूल्यांकन केवल जिलास्तरीय समिति या महानिरीक्षक या राज्यस्तरीय समिति के द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर किया जायेगा तथा इन्डैक्स–2 की दरों को मूल्यांकन का आधार नहीं माना जायेगा।

144. वर्तमान प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने की शक्तियां प्राप्त हैं परन्तु जुर्माने की रकम में छूट देने की शक्तियां नहीं हैं। अब यह प्रस्तावित है कि राज्य सरकार को केवल निर्धारित अवधि की माफी योजनाओं (एमनेस्टी स्कीम्स) को लागू करने के लिए जुर्माने की रकम में छूट देने की शक्तियां दी जाएं।

145. महिलाओं का सशक्तीकरण (Empowerment of Women) आज के जमाने की महती आवश्यकता है। इस क्रम में मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि पत्नी, पुत्री, पुत्र–वधु, माता या बहिन को अचल संपत्ति उपहार स्वरूप देने पर वर्तमान में लागू स्टाम्प ड्यूटी की दर 10 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत कर दी जाये। दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी का इवेज़न रोकने के इरादे से यह प्रस्तावित है कि फैमिली सैटलमेन्ट के प्रकरणों पर देय स्टाम्प ड्यूटी को 5 प्रतिशत से कम कर 2.5 प्रतिशत कर दिया जाये।

146. वर्क्स कान्ट्रेक्ट्स पर वर्तमान में केवल 100/– रुपये स्टाम्प ड्यूटी देय है। उक्त स्टाम्प ड्यूटी को स्लैब पद्धति के आधार पर 10 लाख रुपये तक, 50 लाख रुपये तक

तथा 50 लाख रुपये से अधिक के कान्ट्रेक्ट्स के लिए क्रमशः 100 रुपये, 500 रुपये तथा 1000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

147. शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेशन (Private Investment) को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रस्तावित है कि निजी क्षेत्र में बनने वाले मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज तथा प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों की फ्रैन्चाइज़ इकाइयों को शहरी क्षेत्रों में भूमि के क्रय पर 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की छूट तथा पाँच वर्ष तक भूमि व भवन कर से छूट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट दे दी जाये बशर्ते कि ये इकाइयां कम से कम दो करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेन्ट करें तथा 31 दिसम्बर, 2001 तक प्रारंभ हो जायें।

148. पंजीयन व मुद्रांक की पुरानी बकाया वसूलने के लिये एक विशेष माफी योजना तीन महीने के लिए लागू की जा रही है। इस योजना के तहत कलक्टरों द्वारा तयशुदा

मामलों में यदि ड्यूटी व शुल्क 30 जून, 2000 तक जमा करवा दिये जाते हैं तो जुर्माने की रकम माफ कर दी जायेगी।

149. पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि 1 करोड़ रुपये से अधिक निवेशन (Investment) करने वाले नये होटलों को शहरी क्षेत्रों में भूमि के क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत छूट एवं 5 वर्ष तक के लिए भूमि व भवन कर से पूर्ण छूट तथा विलासिता कर (Luxury Tax) में 5 वर्ष के लिए 50 प्रतिशत छूट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट तथा 5 वर्ष के लिए विलासिता कर (Luxury Tax) से पूर्ण छूट दे दी जाये बशर्ते कि ऐसे होटल 31 दिसम्बर, 2001 तक स्थापित हो जायें।

भूमि एवं भवन कर :

150. स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किये गये त्याग को दृष्टिगत रखते हुये यह प्रस्तावित है कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पंजीकृत आवासीय संपत्ति को भूमि व भवन कर से मुक्त कर दिया जाये।

151. प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये भूमि एवं भवन कर की वर्तमान करारोपण प्रक्रिया की जटिलता एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिये इस कर को वसूलने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु कई संशोधन किये जा रहे हैं।

152. इस टैक्स के बारे में सबसे बड़ी कठिनाई भूमि व भवन के मूल्यांकन को लेकर आती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है कि भूमि व भवन का मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर किया जायेगा। साथ ही टैक्स की दरों को प्रायोगिक तौर पर घटाकर आसान स्लैब पद्धति के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है ताकि करदाताओं को राहत मिले।

153. भूमि तथा कवर्ड एरिया का मूल्यांकन करने के लिए दरें निर्धारित की जा रही हैं। विनिर्दिष्ट श्रेणियों के करदाता इन दरों के आधार पर स्वकर निर्धारण (Self Assessment) कर सकेंगे। करदाता अपनी स्वयं की करदेयता (Tax Liability) निर्धारित कर दो प्रतियों में रिटर्न के साथ टैक्स जमा करवा सकेंगे तथा रिटर्न की एक प्रति उन्हें वापस दी जायेगी

जिसे कर निर्धारण आदेश (Assessment Order) मान लिया जायेगा। ऐसे कर निर्धारण आदेशों के संबंध में 15 प्रतिशत तक रैण्डम चैकिंग की जायेगी।

154. भूमि व भवन कर के संबंध में काफी बड़ी संख्या में पुराने प्रकरण बकाया हैं। इन प्रकरणों को निपटाने के लिए पुरानी कर देयता (Tax Liability) के संबंध में एक विशेष माफी योजना (Amnesty Scheme) जारी की जा रही है जिसके अन्तर्गत 30 जून, 2000 तक पुराने प्रकरणों में निर्धारित दरों पर Self Assessment के आधार पर बिना जुर्माने व ब्याज के टैक्स जमा करवाया जा सकेगा।

155. आशा है कि इन सुधारों से बेहतर कर अदायगी का माहौल बनेगा।

भाग — 3

संशोधित अनुमान 1999—2000

156. वर्ष 1999—2000 के बजट अनुमानों में 601 करोड़ 58 लाख रुपये का घाटा आंका गया था।

157. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की राशि में लगभग 68 करोड़ 74 लाख रुपये की प्राप्तियां कम होने की सम्भावना एवं कतिपय अपरिहार्य व्यय मदों में 708 करोड़ 2 लाख रुपये की वृद्धि के परिणामस्वरूप घाटा और बढ़ जाता। परन्तु राज्य के कर एवं गैर कर राजस्व में लगभग 214 करोड़ 74 लाख रुपये की वृद्धि के फलस्वरूप संशोधित अनुमानों में 766 करोड़ 96 लाख रुपये का घाटा रहना सम्भावित है।

158. संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण :

1.	राजस्व प्राप्तियाँ	10005 करोड़ 69 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	13865 करोड़ 71 लाख रुपये
3.	राजस्व खाते में घाटा	3860 करोड़ 2 लाख रुपये
4.	पूंजीगत प्राप्तियाँ (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	12383 करोड़ 21 लाख रुपये
5.	पूंजीगत व्यय	9290 करोड़ 15 लाख रुपये
6.	पूंजीगत खाते में आधिक्य	3093 करोड़ 6 लाख रुपये
7.	बजटीय घाटा	766 करोड़ 96 लाख रुपये
8.	प्रारम्भिक घाटा	1136 करोड़ 17 लाख रुपये
9.	अन्तिम घाटा	1903 करोड़ 13 लाख रुपये

आय–व्ययक अनुमान 2000–2001

159. अगले वित्तीय वर्ष 2000–2001 के आय–व्ययक अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

1.	राजस्व प्राप्तियाँ	11222 करोड़ 57 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	14569 करोड़ 27 लाख रुपये
3.	राजस्व खाते में घाटा (जिसमें से गैर आयोजना राजस्व घाटा)	3346 करोड़ 70 लाख रुपये (2545 करोड़ 72 लाख रुपये)
4.	पूंजीगत प्राप्तियाँ (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	7105 करोड़ 41 लाख रुपये
5.	पूंजीगत व्यय	3871 करोड़ 5 लाख रुपये
6.	पूंजीगत खाते में आधिक्य	3234 करोड़ 36 लाख रुपये
7.	बजटीय घाटा	112 करोड़ 34 लाख रुपये

160. जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है ग्यारहवें वित्त आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस आयोग की अन्तिम रिपोर्ट 30 जून, 2000 तक अपेक्षित है। इसके अनुसरण में राज्य को केन्द्रीय करों में हिस्सा, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों हेतु अनुदान, प्रशासन के स्तर में उन्नयन हेतु अनुदान, विशेष समस्या हेतु अनुदान, आपदा राहत निधि हेतु अनुदान, आयोजना भिन्न राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु अनुदान इत्यादि मदों में अनुमानों से अधिक राशियां प्राप्त होने की सम्भावना है। इससे चालू वर्ष के अन्त में अनुमानित 1903 करोड़ 13 लाख रुपये के घाटे को आगामी वर्ष में पाटने में सहायता मिलेगी।

161. वर्ष 2000–2001 के बजट अनुमानों में 112 करोड़ 34 लाख रुपये का बजटीय घाटा अनुमानित किया गया है। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि राज्य कठिन वित्तीय परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है इसलिए यह वर्ष राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) और वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) को समर्पित किया गया

है परन्तु इसका आशय यह नहीं है कि राज्य के विकास पर ध्यान नहीं दिया जायेगा। वित्तीय अनुशासन व विकास कार्यों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ही हमने यह प्रयास किया है कि भाग 2 में दर्शाये गए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयासों के फलस्वरूप जो राशियां प्राप्त होंगी उनसे अतिरिक्त विकास कार्य करवाये जायें। वर्ष 2000–2001 के बजट अनुमानों में 112 करोड़ 34 लाख रुपये का जो अपूरित घाटा छोड़ा गया है उसे मैं बेहतर कर संग्रह और व्यय पर नियन्त्रण से पाटने का प्रयास करूंगा।

162. मैं वर्ष 2000–2001 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा–पटल पर रख रहा हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही हैं। चूंकि सदन के पास वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व बजट अनुमानों पर विस्तृत चर्चा कर मांगें पारित करने का पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है अतः मैं वित्तीय वर्ष 2000–2001 के पहले दो महीनों की अवधि के लिए, यथा 31 मई, 2000 तक के लिए, व्यय हेतु "लेखानुदान" की मांग कर रहा हूँ।

163. मेरा विश्वास है कि यह बजट राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करते हुए एक नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की रचना करेगा व इससे राज्य के विकास हेतु मार्ग प्रशस्त होगा। मैं इन बजट प्रस्तावों को लेखानुदान प्रस्ताव सहित स्वीकृत करने की सिफारिश के साथ माननीय सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

जयहिन्द ।